नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-05-26		

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।

तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट प्राप्त।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पुराना खसरा संख्या 86 रकबा 4.3868 हैक्टेयर सर्वे रिसर्वे के पश्चात नवीन खसरा संख्या 206 रकबा 4.1561 हैक्टेयर भूमि ग्राम देवन्दी तहसील सिवाना में अवस्थित है। सर्वे रिसर्वे के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने त्रुटिवश नवीन खसरा संख्या 206 की तरमीम पुराने खसरा संख्या 86 के रकबे अनुसार नहीं कर रकबा 4.1561 राजस्व रेकर्ड लटठा ट्रेस में दर्शा दिया गया, प्रार्थी ने खसरा संख्या 206 का रकबा पूर्वानुसार राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पुराने खसरा संख्या 86 व सर्वे रिसर्वे के पश्चात सृजित नवीन खसरे में पूर्व जमाबंदी से रकबा 0.2307 हैक्टेयर कम है। प्रार्थी के खसरा संख्या 206 की सीमा से लगती हुई खाता संख्या 1 में खसरा संख्या 205 रकबा 0.3893 हैक्टेयर स्थित है जिसका पुराना खसरा संख्या 86/197 रकबा 0.6637 दर्ज था, वर्तमान जमाबंदी में उक्त खसरे का रकबा 0.2744 हैक्टेयर कम दर्ज है। खसरा संख्या 206 व 205 का रकबा जमाबंदी एवं मौके के अनुसार पूर्ण है किसी भी खसरे का रकबा अधिक नहीं है खसरा संख्या 205 व 206 का रकबा ग्राम सीमा के कारण कम हो रहा है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चो पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को सरे इजलास सुना गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)